न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नत्थी बनाम दीपचन्द वगैरह मु.नं.–66/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.09.2022	यह पत्रावली प्रार्थीया नत्थी पुत्री भौरीलाल जाति बैरवा निवासी नांगल लोटवाडा तहसील बैजूपाडा ने प्रार्थना पत्र जरिये वकील बावत अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली विड्रो करने प्रस्तुत होने पर पेश हुई। प्रार्थी वकील ने अवगत कराया की उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.10.2022 नियत है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण में आपसी समझाईस से समझौता हो चुका है व प्रार्थीया उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है। प्रार्थीया अपनी स्वेच्छा से उक्त पत्रावली को विड्रो करना चाहती है एवं पत्रावली को आज ही तलब कर उक्त पत्रावली को विड्रो करना किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र अभी आरम्भिक स्टेज पर है। प्रार्थना पत्र के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अडचन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली विड्रो करने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विड्रो किया जाता है। दिनांक 29.07.2022 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	